



अतिरिक्त फ्लेवर वाली चाय के विनिर्माण के रूप में पंजीकरण हेतु संशोधित दिशानिर्देश

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या.जीएसआर 694(ई) दिनांक 11.10.1999 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति फ्लेवर्ड चाय बनाने का काम तब तक नहीं करेगा, जब तक उसे टी बोर्ड से फ्लेवर्ड चाय के वास्तविक विनिर्माता के तौर पर वैध पंजीकरण न मिल जाए, जैसा कि उस आदेश में उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाली हर फैक्ट्री के संबंध में बताया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के तहत प्रावधान के बाद, टी बोर्ड फ्लेवर्ड चाय के निर्माताओं को फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर रहा है।

आवेदक ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे।

आवेदक(कों) से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ सभी प्रकार से पूर्ण अपना आवेदन जमा करने से पहले उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टल में दस्तावेजों का समर्थन करने वाले दिशानिर्देशों, शुल्क संरचना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग का अवलोकन करें।

आवेदक(कों) को टी बोर्ड से उत्तर पाने के लिए अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा।

प्रणाली द्वारा तैयार किया गया आवेदन पत्र (अनुलग्नक-बी) भरा जाना चाहिए और दिनांक सहित मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जैसा भी मामला हो) उचित कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।(यदि आवेदन पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो प्राधिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।

टी बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के जमा नहीं किए जाने की स्थिति में, आवेदन शुल्क की जब्ती के साथ आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में, आवेदन शुल्क की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है

जिस ब्रांड नाम के तहत स्वाद वाली चाय का विपणन किया जाएगा, वह स्वाद वाली चाय के निर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी। विनिर्माण इकाई अर्थात जहां फ्लेवर्ड चाय के मिश्रण और पैकेजिंग की गतिविधियां की जाती हैं, उन्हें आवेदक कंपनी के एफएसएसआई लाइसेंस में अधिकृत परिसर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। फ्लेवर्ड चाय के विनिर्माण इकाई और विपणन कंपनी का पता खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पैकेट पर विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए।

नए पंजीकरण/ पंजीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

फ्लेवर्ड चाय (चायों) के पंजीकरण के लिए, आवेदक कंपनी/फर्म ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल एक आवेदन प्रस्तुत करेगी। फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, संशोधन लिंक ऑनलाइन पोर्टल में प्रदान/सक्रिय किया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदक वर्तमान फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र में अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय (चायों) को शामिल करने के लिए आगे आवेदन कर सकता है।

ऑफलाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

फ्लेवर्ड चाय निर्माता जिन्होंने पहले ऑफलाइन मोड के तहत फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और मौजूदा फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र में शामिल करने के लिए अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय (ओं) के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का इरादा रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पडेस्क टिकट बनाएं और ऑफलाइन डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने के लिए ऑफलाइन फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें। एक बार जब ऑफलाइन डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल में संशोधन लिंक दिया जाएगा/एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद, सुगंधित चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति टी बोर्ड को जमा करनी होगी।

ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए, आवेदक को हेल्पडेस्क टिकट उठाना चाहिए।

यदि, आवेदक के पास सुगंधित चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (ऑफलाइन/ऑनलाइन) है और वह संशोधन के बजाय नए के रूप में आवेदन करता है, तो आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा और आवेदन शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।

ह/-

अनुज्ञापन नियंत्रक

टी बोर्ड

फलेवर वाली चाय के निर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

क्र.सं	व्यौरा	विवरण						
1	आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में) पंजीकृत कार्यालय के पते सहित							
2	पत्राचार के लिए पता और टेलीफोन, फैक्स सं, मोबाईल सं, ई-मेल आईडी							
3	विनिर्माण इकाई/इकाइयों का नाम और पता जहां अतिरिक्त फलेवर वाली चाय का निर्माण करने का प्रस्ताव है							
4	प्रति किलोग्राम के लिए %-प्रतिशत सहित फलेवर का नाम i) प्राकृतिक फलेवर ii) प्राकृतिक फलेवर वाले पदार्थ:	<table border="1"> <tr> <th>क्र.सं</th><th>फलेवर का विवरण</th><th>%-प्रतिशत प्रति किलोग्राम</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	क्र.सं	फलेवर का विवरण	%-प्रतिशत प्रति किलोग्राम			
क्र.सं	फलेवर का विवरण	%-प्रतिशत प्रति किलोग्राम						
5	टी बोर्ड फैक्ट्री पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो (टी बोर्ड फैक्ट्री पंजीकरण नंबर, यदि लागू हो)	लागू नहीं						
6	राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी फैक्टरी लाइसेंस संख्या, यदि लागू हो (प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी संलग्न की जानी है)	लागू नहीं						
7	चाय निर्यातक/क्रेता लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो (संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी)	लागू नहीं						
8	केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस/पंजीकरण सं यदि लागू हो (संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी)	लागू नहीं						
9	कम से कम 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, विधिवत नोटरीकृत घोषणा, जिसमें यह कहा गया हो कि: 1. "फलेवर्ड चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली चाय एफएसएसआई मानकों के अनुरूप होती है।" 2. "चाय के फलेवर में प्राकृतिक फलेवर और प्राकृतिक फलेवरिंग पदार्थ होने चाहिए, जो क्रमशः फलेवर की तैयारी और एकल पदार्थ हों, जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं, और जो विशेष रूप से पौधों की मूल सामग्री से भौतिक प्रक्रिया द्वारा या तो उनकी प्राकृतिक स्थिति में या मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण के बाद प्राप्त किए जाते हैं।"							

दिनांक:

स्थान:

मुहर सहित आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

दस्तावेज(ओं) विवरण

क्र.सं	दस्तावेज	प्रस्तुति का प्रकार	दस्तावेज अपलोड हुआ
1	आवेदन फॉर्म पर मालिक/पार्टनर/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, तारीख और मुहर लगी होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
2	स्वामित्व से संबंधित: एकल स्वामित्व के लिए नाम और आवासीय पते के साथ, कम से कम 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत घोषणा, अथवा भागीदारी फर्म हेतु: कम से कम दो भागीदारों द्वारा विधिवत सत्यापित भागीदारी विलेख (यदि आवेदक एक भागीदारी फर्म है), अथवा कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो निदेशक में से किसी एक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
3	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाण पत्र।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
4	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अनुसार जैव रासायनिक मापदंडों पर स्वादिष्ट चाय (ओं) की परीक्षण रिपोर्ट, एवं खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अनुसार टी बोर्ड से कीटनाशक अवशेष और धातु संदूषक एकीकृत मूल्यांकन योजना के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में सूचीबद्ध हैं।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
5	फर्म/कंपनी के वर्तमान भागीदारों/निदेशकों/स्वामित्व के नाम, आवासीय पता, ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
6	कम से कम 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, विधिवत नोटरीकृत घोषणा, जिसमें यह कहा गया हो कि: 1."स्वादयुक्त चाय के निर्माण में उपयोग की जाने वाली चाय एफ.एस.एस.ए.आई. मानकों के अनुरूप है।" 2. "चाय के स्वाद में प्राकृतिक स्वाद और प्राकृतिक स्वाद देने वाले पदार्थ होने चाहिए जो क्रमशः स्वाद की तैयारी और एकल पदार्थ हैं, जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं, जो विशेष रूप से पौधों की उत्पत्ति की सामग्रियों से उनके प्राकृतिक अवस्था में या मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण के बाद भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं"	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
7	कोई अन्य दस्तावेज जोड़ें	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	

- आवेदन पत्र भरने और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया नीचे (अगले पृष्ठों) दी गई है: